राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांक : 24 अगस्त, 2026

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव माह अगस्त–सितम्बर, 2026 के लिये मतदान दिनांक 09.09.2026 एवं दिनांक 11.09.2026 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान दिवस एवं मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 07.09.2026 को सांय 06.00 बजे से दिनांक 09.09.2026 को सांय 06.00 बजे तक एवं द्वितीय चरण हेतु दिनांक 09.09.2026 को सांय 06.00 बजे से दिनांक 11.09.2026 को सांय 06.00 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 14.09.2026 को सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(वरुण मिश्रा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.4(1)(1)नपा/रानिआ/2026/6759 दिनांक 19.08.2026 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर (अजमेर/नागौर/टोंक/ब्यावर/भीलवाडा/कोटपूतली–बहरोड/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/चुरू/भरतपुर/धौलपुर/सवाईमाधोपुर/जयपुर/अलवर/सीकर/झुंझुनू/जोधुपर/जालौर/पाली/सिरोही/कोटा/बूंदी/झालावाड/उदयपुर/बांसवाडा/चित्तौडगढ/राजसमंद/प्रतापगढ/डूंगरपुर/डीडवाना–कुचामन/करौली/दौसा/डीग/खैरथल–तिजारा/जैसलमेर/बाडमेर/बालोतरा/फलौदी/सलूम्बर)।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त .... ।
10. जिला आबकारी अधिकारी संबंधित।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव